**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय  
रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1460**

**01.01. 2018 को उत्तर के लिए**

**रक्षा संदर्भ अधिनियम 1903 के कार्यों के दिशानिर्देशों में संशोधन**

**1460. डा. सुब्रमण्यम स्वामी:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने रक्षा स्थापन और संस्थापनों के निकटवर्ती निजी भूमि पर निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में 2016 में रक्षा अधिनियम 1903 के कार्यों के दिशानिर्देशों को संशोधित किया है;

(ख) यदि हां, तो इन संशोधनों की मुख्य बातें क्या-क्या हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये संशोधन सेना, नौसेना तथा वायु सेना से संबंधित सभी रक्षा भूमि पर प्रयोज्य होता है; और

(घ) यदि नहीं, तो सभी तीनों रक्षा दिशानिर्देशों को कब तक संशोधित किया जाएगा ताकि सभी रक्षा संस्थापनों/स्थापनों को इसमें शामिल किया जा सके ?

**उत्तर  
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क) से (घ): रक्षा संकार्य अधिनियम, 1903 में कोई संशोधन नहीं किए गए हैं। तथापि, रक्षा मंत्रालय ने 21.10.2016 को रक्षा स्थापना के आस-पास भवन निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में दिनांक 18.05.2011 के अपने दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, 193 स्टेशनों पर अवस्थित भारतीय सेना की स्थापनाओं/अधिष्ठानों के संबंध में सुरक्षा प्रतिबंध, ऐसी स्थापनाओं/अधिष्ठापनों की बाहरी चारदीवारी से मात्र 10 मीटर तक लागू होंगे। तथापि, जम्मू और कश्मीर राज्य में अवस्थित 149 सेना स्थापनाओं के संबंध में 50 मीटर के भीतर किसी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं होगी और ऐसी सेना स्थापनाओं से 50-100 मीटर के बीच निर्माण कार्य के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी। अन्य रक्षा स्थापनाओं के संबंध में यथा-पूर्व निर्धारित मानदण्ड वर्तमान में प्रयोज्य बने रहेंगे।

\*\*\*\*